कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2536 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 14 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–नैनीताल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–309/2020 के अन्तर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्ट बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/Others/151759/2022)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/40/2022/एफ0सी0/1180 दिनांक 05.12.2022।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा अपने पत्रांक–1620/12–1 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

:–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 126 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.126 है0 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। **ख)** राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम शासन में इस	**क) प्रभागीय वनाधिकारी**/प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिये पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० 2,23,146.00 (रू० दो लाख तैईस हजार एक सौ छियालीस मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)** **ख)** प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी पौंधारोपण योजना, क्षेत्र का नाम एवं Coordinates, डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

d/c

	कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	
	ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और उब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है। अतः विधिवत स्वीकृति के उपरान्त उक्त बिन्दु का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **क)** इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WPC संख्या–202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.63 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 वसूल करेगी। **ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 60,340.00 तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है, जिसकी Online Transction acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** **(ख)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या–79 पर पूर्व में संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 07 वृक्षों एवं पातन हेतु 04 यूकेलिप्टस वृक्षों से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11. 2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेशित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिरोपित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र को जिला कलेक्टर के माध्यम से निर्धारित कर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–40–46 में संलग्न है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रमाण–पत्र के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिरोपित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का Layout Plan नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearins अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	नही की जाएगी।	
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/ 2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रायल द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, की देखरेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थलों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही/स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2536 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हल्द्वानी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।